

No. 78/04/2010-प्रशासन-1

भारत सरकार


श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

श्रम ब्यूरो भवन,
ब्लॉक नं.2, संस्थागत क्षेत्र,
सैक्टर-38 वैस्ट, चंडीगढ़-160036
दिनांक: 14.12.2022

कार्यालय आदेश संख्या- 159, वर्ष 2022

केंद्रीय कोष नियमावली के नियम 142 के साथ पठित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री अरुण प्रसाद टी, निदेशक, श्रम ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई को श्रम ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के संबंध में "कार्यालय प्रमुख" और श्रम ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के गुप बी तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए एस.आर. 191 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक "नियंत्रक अधिकारी" के रूप में घोषित किया जाता है।


(इंदर सेन नेगी)
महानिदेशक

प्रतिलिपि:

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, श्रम ब्यूरो, चेन्नई।
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी, श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़।
3. प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चेन्नई को श्री अरुण प्रसाद टी, निदेशक, श्रम ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के नमूना हस्ताक्षर के साथ।
4. श्री अरुण प्रसाद टी, निदेशक, श्रम ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई।
5. लेखा नियंत्रक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
6. समस्त प्रभागाध्यक्ष, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़/शिमला एवं क्षेत्रीय कार्यालय।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका
8. महानिदेशक के निजी सचिव
9. उप महानिदेशक(भा.भू)/उप महानिदेशक(दी.मे)/ उप महानिदेशक(एस.एस.एन.)